राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13821/2020

1. **सुमित शर्मा पुत्र श्री गोविंद नारायण शर्मा**, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी सी-30, अरावली नगर, बेनार भेरूजी मंदिर के पास, बेनार रोड, वाया झोटवाड़ा, जयपुर (**राजस्थान**)।

2. **पंकज अग्रवाल पुत्र** श्री चन्द्र शेखर, **उम्र लगभग** 35 वर्ष, वर्तमान में प्लॉट ओ. का निवासी 121, सेक्टर-7, विद्याधर नगर, **जयपुर और प्लॉट** संख्या ए-6, **शास्त्री नगर**, जोधपुर (**राजस्थान**) का स्थायी निवास।

3. **अभिषेक बापलावत पुत्र श्री मोहन लाल बापलावत**, उम्र लगभग 37 वर्ष, **निवासी प्लॉट** संख्या 113/33, प्रताप नगर, **सामुदायिक केंद्र के पास**, सेक्टर-11, टोंक रोड, **कुम्भा मार्ग**, जयपुर-302033 (राजस्थान)

4. **सविता पँवार पुत्री श्री निरंजन सिंह पँवार**, **उम्र लगभग** 39 वर्ष, निवासी डी-448, **सिद्धार्थ नगर**, जवाहर सर्किल के पास, **उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय** के पीछे, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. **राजस्थान राज्य**, प्रमुख सचिव कॉलेज शिक्षा, **शासन सचिवालय**, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से,

2. **कॉलेज शिक्षा विभाग**, निदेशक ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर **लाल नेहरू मार्ग**, जयपुर-302015 के माध्यम से,

3. **राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपने सचिव घूघरा घाटी**, अजमेर (राजस्थान) **के माध्यम** से,

4. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**, अपने सचिव **बहादुर शाह जफर मार्ग**, नई दिल्ली - 110002 **के माध्यम से**,

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : **श्री तनवीर अहमद श्री मनीष परिहार के**

साथ

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री आदित्य शर्मा, डिप्टी जीसी श्री एम.एफ. बेग-प्रत्यर्थी-आरपीएससी के लिए श्री नीरज बत्रा-प्रत्यर्थी-यूजीसी के लिए

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

आदेश

06/12/2022

रिपोर्टेबल

याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए यह याचिका दायर की गई है:

> "व्याख्याता (कॉलेज शिक्षा) के पद के लिए 02.11.2020 को जारी तत्काल भर्ती में प्रत्यर्थीगण को एक नया विज्ञापन या शुद्धिपत्र जारी करके निर्दिष्ट/उल्लेख करने के लिए निर्देशित किया जाए कि जिन उम्मीदवारों ने नेट उत्तीर्ण करते समय छूट का लाभ उठाया है, नेट/स्लेट/सेट परीक्षा तो ऐसे उम्मीदवारों को उस पद के खिलाफ चयन के लिए विचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं अर्थात अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पद के खिलाफ विचार के प्रयोजन के लिए ऐसी सभी आवश्यकताएं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा अर्थात अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड में 55% अंक, नेट/स्लेट/सेट परीक्षा को समान योग्यता अंकों के साथ उत्तीर्ण करना, जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक हैं और इसके लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया में कटऑफ अंक भी शामिल हैं। अनारक्षित श्रेणी को पूरा करना होगा और चयन प्रक्रिया से पहले और चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर कमी होने पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के पद के खिलाफ ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसे प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्दिष्ट और निर्देशित किया जाना चाहिए। न्याय के हित में, सभी

व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए दिनांक 02.11.2020 के विज्ञापन के संदर्भ में विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाए।"

यह न्यायालय, सबसे पहले, यह देखना चाहेगा कि याचिका में की गई मुख्य प्रार्थना इतनी व्यापक रूप से लिखी गई है और यदि ऐसी प्रार्थना स्वीकार की जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थीगण को नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाएगा या चयन प्रक्रिया से संबंधित शुद्धिपत्र, जो विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए प्रत्यर्थी-राजस्थान लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "आरपीएससी") द्वारा शुरू किया गया है।

इस न्यायालय ने, संपूर्ण दलीलों पर गौर करने और याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद पाया कि मुख्य शिकायत, जो याचिकाकर्तागण द्वारा उठाई गई है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों पर विचार न करने के प्रत्यर्थीगण के खिलाफ निर्देश मांगने के लिए है। सामान्य/गैर-आरक्षित श्रेणी के पद, यदि उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी)/राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) में छूट के माध्यम से बुनियादी योग्यता/पात्रता प्राप्त करने में छूट दी गई है।

जैसा कि संक्षेप में कहा गया है, तथ्य यह है कि सभी याचिकाकर्तागण के पास कानून विषय में कॉलेज शिक्षा में सहायक प्रोफेसर (व्याख्याता) के पद के लिए अपेक्षित पात्रता योग्यता है और याचिकाकर्तागण सामान्य/गैर-आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं।

याचिकाकर्तागण ने रिट याचिका में दलील दी है कि नेट/स्लेट/सेट उत्तीर्ण करने के लिए आरक्षित श्रेणी और गैर-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मानदंड हैं और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अंक गैर-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में कम हैं और इस प्रकार, याचिकाकर्तागण ने अपनी याचिका में उन उम्मीदवारों के संबंध में विवरण प्रदान किया है, जिन्हें पिछली भर्ती में चुना गया था और ऐसी जानकारी उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगने के बाद रखी गई है।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि व्याख्याता पद के लिए आयोजित पिछली भर्ती में, ओबीसी उम्मीदवारों को गैर-आरक्षित श्रेणी के तहत चयनित किया गया था, जबकि नेट परीक्षा में उनके प्राप्त अंक छूट के लाभ के कारण थे। इसी आशय से,

याचिकाकर्तागण ने उन उम्मीदवारों के कुछ स्कोर-कार्ड दायर किए हैं, जो पिछली भर्ती में चयनित हुए थे।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि चूंकि आरक्षित और गैर-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक हैं और यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने नेट/स्लेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से किसी छूट का लाभ उठाया है, तो ऐसी छूट का लाभ उठाने के बाद, ऐसे उम्मीदवार को गैर-आरक्षित श्रेणी के पद के विरुद्ध विचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि समान अवसर अलग-अलग हो गए हैं।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि राज्य सरकार ने **सिविल अपील संख्या 3609/2017 (दीपा ई.वी. बनाम भारत संघ और अन्य)** में उच्चतम न्यायालय द्वारा 06 अप्रैल, 2017 तारीख को पारित निर्णय के बाद 26 जुलाई, 2017 को एक परिपत्र भी जारी किया है।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि प्रत्यर्थी-आरपीएससी द्वारा 02 नवंबर, 2020 को एक विज्ञापन जारी किया गया है, जहां कानून सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया की जा रही है।

याचिकाकर्तागण ने विज्ञापन की शर्त संख्या 14 के नोट संख्या 2 का हवाला दिया है, जिसमें यह निर्धारित है कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने आयु सीमा, अंक और शारीरिक फिटनेस आदि को छोड़कर कोई लाभ/छूट ली है। शुल्क, ऐसे उम्मीदवार को, इन छूट का लाभ उठाने पर, गैर-आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि विज्ञापन की शर्त संख्या 14 के नोट संख्या 2 में अंकों में छूट के संबंध में भी प्रावधान है लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नेट/स्लेट/सेट के स्तर पर अंक दिए जाने चाहिए या नहीं। इसे छूट माना जाए या नहीं।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि इसे विज्ञापन में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए था या एक अलग शुद्धिपत्र/नया विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए था ताकि विज्ञापन शर्तों में कोई अस्पष्टता न हो और गैर-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रतिकूल नुकसान न उठाना पड़े।

याचिकाकर्तागण ने दलील दी है कि उन्होंने अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद रिट

याचिका दायर की है, क्योंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई अवैधता को तुरंत रोका जा सकता है और याचिकाकर्तागण ने *"बुराई को शुरुआत में ही खत्म करना होगा"* वाक्यांश का उपयोग किया है और इस तरह, जब आवेदन-पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए जाने हैं, याचिकाकर्तागण ने तुरंत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्तागण ने यह भी अनुरोध किया है कि 2015 में भर्ती के माध्यम से शुरू किया गया अंतिम चयन भी इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था, हालांकि, वर्तमान भर्ती को बचाने के लिए, याचिकाकर्तागण ने इस न्यायालय से संपर्क करने में उचित सावधानी बरती है।

याचिकाकर्तागण ने यह भी दलील दी है कि उच्चतम न्यायालय ने **गौरव प्रधान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [(2018) 11 एससीसी 352],** के मामले में भी एक निर्णय सुनाया है। जिसके तहत उच्चतम न्यायालय ने कानून बनाया है कि जिन उम्मीदवारों ने छूट का लाभ उठाया है, उन्हें गैर-आरक्षित श्रेणी के खिलाफ स्थानांतरित करने या विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:

(1) जिन उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी के आधार पर नेट/स्लेट/सेट में छूट मिली है, उन्हें गैर-आरक्षित सीटों के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन उम्मीदवारों ने सीमा पर आरक्षण का लाभ उठाया है।

(2) प्रत्यर्थी-आरपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन, अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के लिए 5% की छूट प्रदान करता है, अर्थात, पात्रता मानदंड में और इस तरह, जो व्यक्ति आरक्षित श्रेणी से हैं, उन्हें गैर-आरक्षित श्रेणी के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को न केवल प्रारंभिक चरण में बल्कि न्यूनतम पात्रता पर विचार करते समय भी लाभ प्रदान किया गया है।

(3) चूंकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के पास नेट/स्लेट/सेट उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कम अंक हैं, और इस प्रकार, किसी भी स्तर पर मानदंडों में छूट के परिणामस्वरूप, गैर-आरक्षित श्रेणी के तहत या उसके विरुद्ध विचार किए जाने के उनके अधिकार को माफ कर दिया जाना चाहिए।

(4) प्रत्यर्थी-आरपीएससी द्वारा की गई पिछली भर्ती में पहले ही चयन में गंभीर गड़बड़ी

हो चुकी है और इस तरह, वर्तमान भर्ती में नुकसान होने से पहले, आरक्षित श्रेणी को वंचित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। नियुक्ति के उद्देश्य से उम्मीदवारों को नेट/स्लेट/सेट में अंकों में छूट दी गई है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर अवलंब जताया है:-

(i) एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य बनाम प्रदीप कुमार एवं अन्य(सिविल अपील क्रमांक 8259/2019 के

(ii) गौरव प्रधान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [(2018) 11 एससीसी 352]

प्रत्यर्थी-आरपीएससी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता -श्री एमएफ बेग ने रिट याचिका का उत्तर दायर किया है।

प्रत्यर्थी-आरपीएससी ने दलील दी है कि उन्हें कॉलेज शिक्षा विभाग से एक सिफारिश मिली थी और तदनुसार, 02 नवंबर, 2020 का विज्ञापन राजस्थान शिक्षा सेवा (कॉलेजिएट शाखा) नियम, 1986 (संक्षेप में "1986 के नियम" के तहत जारी किया गया था) सहायक प्रोफेसर के पद के लिए और बाद में, 18 दिसंबर, 2020 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया, क्योंकि “अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड” की आवश्यकता में कुछ संशोधन किए गए थे।

प्रत्यर्थी-आरपीएससी ने अनुरोध किया है कि जहां तक कार्मिक विभाग के दिनांक 26 जुलाई, 2017 के परिपत्र का संबंध है, यह इस सीमा तक है कि यदि आरक्षित श्रेणी (एससी-एसटी/ओबीएस/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस) का कोई भी उम्मीदवार, फीस में छूट को छोड़कर किसी भी अन्य छूट, जैसे, आयु सीमा, अंक, शारीरिक फिटनेस इत्यादि का लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसे उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में गैर-आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के खिलाफ विचार नहीं किया जाएगा।

प्रत्यर्थी-आरपीएससी ने एक स्टैंड लिया है कि 26 जुलाई, 2017 के परिपत्र में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के चयन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था, जिन्होंने गैर-आरक्षित पद के खिलाफ नेट/स्लेट/सेट परीक्षा में प्राप्त अंकों में छूट प्राप्त की थी।

प्रत्यर्थी-आरपीएससी ने एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दायर किया है, जिसके तहत उन्होंने 23 अक्टूबर, 2013 की एक अधिसूचना को रिकॉर्ड में रखा है, जिसमें विभिन्न विषयों में व्याख्याता के लिए राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आरपीएससी द्वारा अंतिम पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी।

प्रत्यर्थी-आरपीएससी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सूचना बुलेटिन और यूजीसी द्वारा जारी नेट प्रमाणपत्र की प्रतियां भी रिकॉर्ड में रखी हैं।

प्रत्यर्थी-आरपीएससी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एफ. बेग ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं: -

(क) आरपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके पात्रता शर्तें और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(ख) नेट/स्लेट/सेट में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को गुणागुण सूची तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा जाता है और इस प्रकार, गुणागुण सूची पूरी तरह से उपरोक्त दोनों भागों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर तैयार की जानी है।

(ग) नेट/स्लेट में उपस्थित होने के दौरान आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अंकों में छूट यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है और यदि आरक्षित और गैर-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण अंकों का अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित है, तो प्रश्नगत चयन के उद्देश्य से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(घ) सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न केवल अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के लिए प्रदान करती है, बल्कि इसके लिए उम्मीदवार को यूजीसी, सीएसआईआर या यूजीसी के समान मान्यता प्राप्त परीक्षण, जैसे एसएलईटी/नेट द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना भी आवश्यक है।

(ङ) यहां तक कि जिन व्यक्तियों को पी.एच.डी. की डिग्री प्रदान की गई है **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** के अनुसार **(न्यूनतम मानक और प्रक्रिया पी.एच.डी. पंचाट के लिए डिग्री)** विनियम, 2009 (संक्षेप में "2009 के विनियम") को नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी गई है और इसके अलावा, कुछ विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों केद लिए नेट/स्लेट/सेट की भी आवश्यकता नहीं है। जो, नेट/स्लेट/सेट मान्यता प्राप्त परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

(च) याचिकाकर्तागण द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करने योग्य है, क्योंकि चयन प्रक्रिया में भाग लेने और परिणाम की घोषणा किए बिना, पूरी याचिका आशंकाओं और धारणाओं पर दायर की गई है।

(छ) याचिकाकर्तागण ने चयन प्रक्रिया पूरी किए बिना और अपने पक्ष में कोई अधिकार अर्जित किए बिना या कहीं भी योग्यता में अपना स्थान पाए बिना इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इस प्रकार नए विज्ञापन या शुद्धिपत्र के निर्देश के लिए प्रार्थना असाधारण शक्तियों का सरासर दुरुपयोग है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता-आरपीएससी ने निम्नलिखित निर्णयों पर भी अवलंब जताया है:-

(i) **विकास सांखला और अन्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 3545-3549/2016)**

(ii) **प्रदीप सिंह देहल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2019) 9 एससीसी 276] में प्रकाशित।**

(iii) **दीपा ई.वी. बनाम भारत संघ एवं अन्य (सिविल अपील क्रमांक 3609/2017) दिनांक 06.04.2017 को** निर्णित।

(iv) **जीतेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम यूपी राज्य एवं अन्य [(2010) 3 एससीसी 119] में प्रकाशित।**

(v) **आरपीएससी, अजमेर बनाम श्रीमती पुष्पा पंवार एवं अन्य (खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) क्रमांक 532/2002)** दिनांक 08.04.2010 को निर्णित।

(vi) **आरपीएससी बनाम डॉ. मेघा शर्मा एवं अन्य (खंडपीठ समीक्षा याचिका (रिट) संख्या 180/2019) और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं** पर 23.03.2020 को निर्णित।

(vii) **आर.के.सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य [1995 एआईआर 1371]** में प्रकाशित।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

यह न्यायालय दिनांक 02.11.2020 के विज्ञापन की प्रासंगिक धाराओं को उद्धृत

करना उचित समझता है:-

"राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

संयुक्त विज्ञापन संख्या: 04/परीक्षा/सहायक आचार्य/कॉलेज शिक्षा/EP-I/2020-21

दिनांक: 02.11.2020

आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अन्तर्गत सहायक आचार्य (Assistant Professor) के निम्नलिखित विशय पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:-

उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं (राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय भााखा) शाखा, 1986 की अनुसूची-1 क बि.सं. 8 अनुसार)

i. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर, या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री में कम से कम 55% अंकों (या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड।

ii. उपरोक्त योग्यता को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवार को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी), या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण होना चाहिए।

iii. उम्मीदवार, जिन्हें पीएच.डी. प्रदान की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार डिग्री, सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की

आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

iv. जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट आयोजित नहीं किया जाता है, ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए भी नेट/स्लेट/सेट की आवश्यकता नहीं होगी।

तथापि, दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम.फिल/पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पीएच.डी. डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् भार्तों को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें NET/SLET/SET की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्वति से पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई हो।

(ख) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबन्ध की मूल्यांकल किया गया हो।

(ग) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गयी हो।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य मे से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल(Refereed) पत्रिका में प्रकाशि हुआ हो।

(ड) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगंष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।

2- देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा (राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21.02.2014 के अनुसार) : अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड का मतलब है स्नातकोत्तर डिग्री से पहले की तीन परीक्षाओं में औसतन कम से कम

55% अंक और स्नातक में कम से कम 50% अंक। और प्वाइंट स्केल में माध्यमिक/उच्च विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक या समकक्ष ग्रेड में से कोई एक, जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, बिना किसी अनुग्रह अंक को शामिल किए और/या इसे 55% या 50%, जैसा भी मामला हो, करने के लिए राउंड ऑफ किया जाता है।

विशेष नोट: उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) एवं निःशक्तजन वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रति ात अंको की छूट देय है। उक्त 5 प्रतिशत अंको की छूट औसत 55 प्रतिशत अंको में देय है, सैकण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी तथा स्नातक तीनों परीक्षाओं के अंकों में पृथक्-पृथक् रूप से 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय नहीं है।

नोट:-

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET/SET) उत्तीर्ण मान्य है।

2. 01 जून, 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से SLET/SET उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा।

3. 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात् अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण (SLET/SET) अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपर्युक्त अर्हता में निम्नानुसार छूट देय होगी:-

(अ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) एवं निःशक्तजन वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता/शैक्षणिक योग्यता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।

(ब) दिनांक 19.09.1991 से पूर्व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त

अभ्यर्थियों को पीएच.डी. उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर में 5 प्रतिशत की छूट देकर 55 से 50 प्रतिशत।"

14. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।

राजस्थान सिविल सेवा (पूर्व सैनिकों का अवशोषण) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी। बशर्ते कि यदि छूट के बाद अनुमेय आयु 50 वर्ष से अधिक बनती है तो 50 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा लागू होगी।

स्पष्टीकरण:- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।

नोट -

1. XXXX

2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

यह न्यायालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2020 चक्र (मई 2021) के प्रासंगिक पैरा को उद्धृत करना भी उचित

समझता है:-

1. xx xx xx

2. xx xx xx

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट)

3.1 यूजीसी-नेट भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'सहायक प्रोफेसर' और 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर' के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है।

18. **परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मानदंड**

18.1 निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा:

चरण I: योग्य होने वाले उम्मीदवारों की संख्या (सहायक प्रोफेसर के लिए कुल स्लॉट या पात्रता) नेट के दोनों पेपरों में उपस्थित उम्मीदवारों के 6% के बराबर होगी।

चरण II: कुल स्लॉट भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को आवंटित किए जाएंगे।

चरण III: 'जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता' और 'सहायक प्रोफेसर' के लिए विचार करने के लिए उम्मीदवार को दोनों पेपरों में उपस्थित होना चाहिए और सामान्य (अनारक्षित) के लिए दोनों पेपरों को मिलाकर कम से कम 40% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए। /सामान्य-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार और आरक्षित श्रेणियों (जैसे, एससी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और तीसरे लिंग से संबंधित)) के सभी उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपरों में कुल मिलाकर कम से कम 35% अंक।

चरण IV: किसी विशेष श्रेणी के लिए किसी भी विषय में योग्य घोषित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई पद्धति के अनुसार निकाली गई है:

विज्ञापन की विभिन्न शर्तों को पढ़ने पर यह न्यायालय पाता है कि प्रत्यर्थी-

आरपीएससी ने उम्मीदवारों की पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं और अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के अलावा, नेट/स्लेट/सेट प्राप्त करने की अन्य आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं।

इस न्यायालय ने पाया कि चयन प्रक्रिया भी प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से प्रदान की गई है और तीन पेपरों की लिखित परीक्षा में कुल 200 अंक निर्धारित हैं और आगे 24 अंकों का साक्षात्कार होता है और फिर चयनित उम्मीदवार घोषित करने के लिए गुणागुण सूची तैयार की जाती है।

उक्त प्रक्रिया में कहीं भी अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड या नेट/स्लेट/सेट और बुनियादी शिक्षा योग्यता उत्तीर्ण करने की योग्यता के किसी भी अंक को जोड़ने का प्रावधान नहीं किया गया है और इस प्रकार, नेट/स्लेट/सेट की मंजूरी, पात्रता के लिए न्यूनतम आवश्यकता है और इसके बाद उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। पूरी प्रक्रिया में अंक जोड़ने का कोई तत्व नहीं है और इस प्रकार, संपूर्ण चयन प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना है।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि राज्य सरकार ने 26.07.2017 को एक परिपत्र भी जारी किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित किसी उम्मीदवार ने आयु सीमा, अंकों जैसी किसी विशेष रियायत का लाभ नहीं उठाया है, भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, जो इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क की रियायत को छोड़कर उपलब्ध है और फिर यदि ऐसा उम्मीदवार अंतिम अनारक्षित श्रेणी के चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ऐसे उम्मीदवार से संबंधित है एससी/एसटी/ओबीसी को अनारक्षित श्रेणी में गिना जाएगा, न कि एससी/एसटी/बीसी के लिए आरक्षित रिक्तियों, जैसा भी मामला हो।

उक्त परिपत्र को पढ़ने से पता चलता है कि यदि भर्ती प्रक्रिया में, एससी/एसटी/बीसी से संबंधित कोई उम्मीदवार परिपत्र में दिए गए अंकों और अन्य बातों की रियायत का लाभ उठाता है, तो केवल ऐसे उम्मीदवार को अपनी नियुक्ति का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अनारक्षित/सामान्य वर्ग 'भर्ती प्रक्रिया' शब्द में विज्ञापन जारी करने और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर गुणागुण सूची तैयार करने के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने से पहले का कोई भी चरण शामिल नहीं होगा।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की दलील थी कि चूंकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने पहले ही कम अंकों के साथ नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय रियायत का लाभ उठाया है, इसलिए उन्हें बाद के सभी चरणों में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाना आवश्यक है। भर्ती प्रक्रिया को यह न्यायालय स्वीकार नहीं कर सकता। इस न्यायालय का मानना है कि यदि यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार नेट परीक्षा पास करने के लिए अर्हता अंक निर्धारित किए गए हैं और आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुल अंक निर्धारित हैं और उनका प्रतिशत भी तय किया गया है अर्थात उपस्थित उम्मीदवारों के 6% के बराबर, तो ऐसी श्रेणी नेट में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने के लिए एक कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि प्रत्यर्थीगण ने अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को लाभ दिया है, जबकि इन उम्मीदवारों ने नेट/स्लेट/सेट पास करते समय प्रारंभिक चरणों में पहले ही रियायत का लाभ उठाया है, इस न्यायालय ने पाया कि यह नुस्खा है पात्रता शर्तों में से एक के रूप में अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड और अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड में कुछ प्रतिशत की छूट के परिणामस्वरूप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दोहरा लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा प्रचारित करने की कोशिश की गई है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि प्रत्यर्थीगण उन अभ्यर्थियों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, जिन्होंने उन्हें प्रवासन की अनुमति देकर या अनारक्षित श्रेणी के खिलाफ विचार करके छूट का लाभ उठाया था, समान स्तर को बदलने के लिए, इस न्यायालय ने पाया कि यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है और योग्यता होती है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति के लिए एक मानदंड। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने या प्रारंभिक चरण में कुछ छूट प्राप्त करने से समान अवसर नहीं बदलता है, जैसा कि याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि एक बार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने छूट का लाभ ले लिया है तो उसे रोजगार के मामले में हर बार एक ही टैग रखना होगा, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की दलील पर निर्णय करते हुए भारत के संविधान में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों को ध्यान में रखता है, जिसके तहत अनुच्छेद 15(4) के तहत, राज्य को सामाजिक और सामाजिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई है। नागरिकों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने से संबंधित विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यह न्यायालय एक सादृश्य बना सकता है कि यदि उपरोक्त तीन श्रेणियों से संबंधित किसी भी उम्मीदवार को कुछ विशेष प्रावधान किए जाने के कारण प्रवेश दिया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आने वाले समय में ये उम्मीदवार जहां भी रोजगार के लिए उपस्थित होंगे, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। छूट प्राप्त व्यक्तियों के रूप में माना जाता है और इस तरह, उच्च पद हासिल करने या सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ समान स्थान पर रहने के बाद भी, ऐसे उम्मीदवारों को अभी भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा, याचिकाकर्तागण की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।

इस न्यायालय ने पाया कि न्यूनतम पात्रता/शैक्षिक योग्यता आवेदन करने के लिए एक शर्त है और प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आवश्यकता को देखना और यदि परीक्षा प्रक्रिया में उपस्थित होने के बाद, जबकि अंतिम गुणागुण सूची तैयार की जाती है और यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है, आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार को सामान्य सीट के विरुद्ध गिना जाना आवश्यक है। इस सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत पहले ही तय किया जा चुका है और समय-समय पर इसे दोहराया भी जाता रहा है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि प्रत्यर्थीगण ने उसी पद के लिए हुए अंतिम चयन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को लाभ दिया है और इस प्रकार, चयन करने में प्रत्यर्थीगण द्वारा अवैधता कायम रखी जा रही है, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि केवल नियोक्ता द्वारा पहले की गई किसी भी नियुक्ति के आधार पर, याचिकाकर्तागण को धारणाओं और आशंकाओं पर रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस न्यायालय को प्रत्यर्थी-आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता की दलील में दम नजर आया कि याचिकाकर्तागण ने केवल चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता दिखाकर, लेकिन उक्त चयन प्रक्रिया की समाप्ति से पहले, इस न्यायालय से संपर्क किया है और इस प्रकार, रिट याचिका है इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता बिना किसी कारण के इस न्यायालय में पहुंचे और यहां तक कि प्रारंभिक चरण में इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश भी पारित किया गया था।

इस न्यायालय ने पाया कि ***विकास सांखला और अन्य (सुप्रा.)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया है कि क्या कुछ परीक्षा (टीईटी) पास करने के लिए न्यूनतम पात्रता में छूट भर्ती प्रक्रिया में रियायत होगी। किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना नियुक्ति की पात्रता शर्त मानी गई है और यदि किसी उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता उपलब्ध नहीं है तो ऐसा उम्मीदवार नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने आगे पाया कि जब नियुक्ति का तरीका बिल्कुल अलग हो और विभिन्न मदों के तहत प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता तैयार की जानी हो, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में रियायत नहीं दी जाती है।

इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, नेट/स्लेट/सेट को पास करना/उत्तीर्ण करना, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की एक शर्त है और ऐसी योग्यता के बिना, कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, हालाँकि, नियुक्ति की विधि सहायक प्रोफेसर और गुणागुण तैयार करने का आधार बिल्कुल अलग है और इस प्रकार, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि केवल नेट/स्लेट/सेट उत्तीर्ण करते समय छूट मिलने से, आरक्षित वर्ग का व्यक्ति हमेशा आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बना रहेगा और भले ही, वह चयन प्रक्रिया में अपने प्रदर्शन के आधार पर अपनी योग्यता स्थिति सुरक्षित कर लेता है और वह अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के बराबर उच्च अंक या कट ऑफ अंक प्राप्त करता है, फिर भी उसे आरक्षित श्रेणी के लिए माना जाएगा।

यह न्यायालय यह देखने के लिए भी बाध्य है कि वर्तमान रिट याचिका

याचिकाकर्तागण को बिना किसी कारण बताए दायर की गई है और केवल उन उम्मीदवारों के संबंध में कुछ विवरणों की उपलब्धता के आधार पर, जो पिछले वर्ष में चयनित हुए थे, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि याचिकाकर्ता विज्ञापन जारी करने के चरण में भी रिट याचिका दायर कर सकते हैं।

यह न्यायालय आगे पाता है कि यदि कोई उम्मीदवार जिसके अधिकार का उल्लंघन राज्य की किसी मनमानी कार्रवाई से होता है, तो वह निश्चित रूप से रिट याचिका दायर करके शिकायत उठा सकता है। हालाँकि, केवल पिछली भर्ती के संबंध में कुछ जानकारी एकत्र करने और भर्ती के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, ऐसी रिट याचिका दायर करने को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है और इसे न्यायालय के कीमती समय की बर्बादी के रूप में लिया जाता है।

इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान रिट याचिका में गुणागुण नहीं है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.11.2020 का अंतरिम आदेश भी निरस्त किया जाता है।

सभी आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाते हैं।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Preeti Asopa/Himanshu Soni

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।